

दिनांक शिमला-१७१००४ .

...../...../2018

रोड़ा मे.

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ,
D.A.V. Public School,Shoghi .
खण्ड शिमला-३ , जिला शिमला , हिमाचल प्रदेश १

ठिकाना :-

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम , 2009 की धारा १८ की उपचार (२) के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम २०१ के नियम ३ के उपनियम (५) के अधीन विधालय की मान्यता के लिए मान्यता प्रमाण— यत्र ।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषय पर आपकी पाठशाला के पत्रसंख्या -शून्य दिनांक ३१.०१.२०१७ के आवेदन और विधालय के सभी पश्चात्वर्ती पत्राचार के प्रतिनिर्देश से, मैं D.A.V. Public School,Shoghi . खण्ड शिमला-३, जिला शिमला , हिमाचल प्रदेश को ०१.०३.२०१७ से २८.०२.२०२२ तक पांच वर्ष की अवधि के लिए कक्षा पहली से कक्षा आठवीं तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संस्थाना देता हूं तथा हर वर्ष हेतु क० सं ०१९ के अनुसार कार्यायाही करें ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैं:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा ८ से आगे विधालय की मान्यता या सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता दिवक्षित नहीं है ।
2. विधालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपचार-१) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011(उपचार-२) के उपचर्वर्ती का पालन करेगा ।
3. सोसाइटी/ विधालय, किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगी/ करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी रक्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगी/ करेगा ।
4. विधालय किसी बालक को निम्नलिखित के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा—
 - (१) आयु का राहूत न होना ।
 - (२) यदि ऐसा प्रवेश, प्रदेश के लिए ९० दिन की विस्तारित अवधि के पश्चात् चाहा गया हो , और
 - (३) धर्म , जाति या वंश , जन्म के स्थान या इनमें से किसी के आधार पर ।
5. विधालय यह सुनिश्चित करेगा कि—
 - (१) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को, विधालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विधालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ।
 - (२) किसी भी बालक को न तो शारीरिक दण्ड दिया जायेगा या ना ही उसका भानसिक उत्थीड़न किया जायेगा ।
 - (३) निःशक्तुता ग्रस्त विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को अधिनियम के उपचर्वर्ती के अनुसार प्रतेश दिया जायेगा ।
 - (४) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा २३ (१) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अहर्ताओं के साथ की जाती है और विद्यमान अध्यापक , जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर, न्यूनतम अहर्ताएं नहीं हैं, मात्र २०१५ तक ऐसी न्यूनतम अहर्ताएं अर्जित करेंगे ।
 - (५) अध्यापक / अध्यापिका अधिनियम की धारा २४ (१) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कल्पाचा का पालन करेगा / करेगी और
6. विधालय, धारा २९ की उपधारा (१) के अधीन शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम के आवार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा ।

7. विधालय अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट, विधालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में छात्रों का नामांकन करेगा।
8. विधालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा अनितम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :—
- | | |
|----------------------------|----------------------|
| विधालय परिसर का क्षेत्रफल, | :- 1272.00 वर्ग मीटर |
| कुल निर्मित क्षेत्र, | :- 576.64 वर्ग मीटर |
| कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल , | :- |
| कक्षा के कमरों की संख्या, | :- 13 |

मुख्याध्यापक एवं कार्यालय एवं भण्डार कक्ष के लिए कमरा, वालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय, पेयजल सुविधा, बिड -डे -मिल पकाने हेतु रसोई अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेल-कूद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता बाहर रहित पंहुच,

9. विधालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर, विधालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
10. विधालय भवनों या अन्य अवंसरचनाओं या कीड़ा स्थलों का, विधालयों के किसी कर्मचारी के नियास के प्रयोजन के सिंगाए, दिन या रात्रि के दौरान वाणिज्यक या आवासीय प्रयोजनों के लिए या किसी भी प्रकार की राजनैतिक या गैर-शैक्षणिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।
11. विधालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाएगा।
12. विधालय को किसी व्यष्टि या व्यष्टियों के समूह संगम या किहीं अन्य व्यवित्यों के लाग के लिए नहीं चलाया जाएगा।
13. विधालय के लेखाओं की, किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जाएगी और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाएगा तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाएगा।
14. प्रत्येक वर्ष लेखा विवरण की एक प्रति उप निदेशक / खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
15. आपके विधालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक 000113 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
16. विधालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर निदेशक, शिक्षा/उपनिदेशक/खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और वह राज्य सरकार/ स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विधालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाएगा।
18. राज्य सरकार अनुपालन के लिए समय-समय पर अतिरिक्त भत्ते विनिर्दिष्ट कर सकेगी।
19. शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-2 (एवं 0) उपराष्ट्र (11) तथा (4) में विनिर्दिष्ट सभी वैधानिक रूप से कार्यरत स्कूलों के ग्रबवधक हर वर्ष भौक्षणिक सत्र आंध्र होने से कम से कम 15 दिन पहले निर्धारित प्रपत्र पर अपना स्व-धोशणा पत्र (प्रपत्र में ही हर स्थिति से अवगत करवाया जाए) प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । मान्यता के नवीनीकरण हेतु पांच सौ रुपये का भूलक प्रति वर्ष देय होगा ।

पृष्ठांकन

संख्या

दिनांक

शिमला-171004

प्रतिलिपि :-

उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक
शिमला-4, जिला शिमला ।
.....2017

1. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश शिमला-1 को सूचनार्थ प्रेषित है ।
2. खण्ड प्रारम्भिक शिक्षां अधिकारी शिमला-3 को सूचनार्थ प्रेषित है ।
3. रक्षक नस्ति 1

[गुणा]


उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक
शिमला-4, जिला शिमला ।